न्यायलय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी.ओ.
22/7/19	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। बार-2 आवाज लगाई गई। कोई उपस्थित नहीं। प्रार्थीगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में प्रार्थना पत्र हाजरी व आदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण एकमत से गुमराह होकर गलत से काश्तकारी का लाभ लेना चाहते थे।

Scanned by CamScanner